न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी	**:-**	**मनोज सिंह फौजदार, आर.जे.एस.**
मूल फौजदारी प्रकरण सं०	**:-**	23/1215/2021 (23/499/2015)
एफआईआर सं०	**:-**	123/2015 थाना नौगांवा, जिला अलवर
सीआईएस नं०	**:-**	**499/2015**

राजस्थान राज्य **.....परिवादी**	**बनाम**	शौकीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी पोदीपुर पुलिस थाना नौगांवा, जिला अलवर(राज०) **.....अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः-

1. राज. सरकार की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरमीत सिंह।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	अपराध की तिथि	21-06-2015
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	22-06-2015
3	चालान पेश करने की तिथि	30-09-2015
4	आरोप विरचित करने की तिथि	30-09-2015
5	साक्ष्य आरंभ करने की तिथि	09-03-2016
6	बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	16-03-2026
7	बहस अंतिम सुनी जाने की तिथि	16-04-2026
8	निर्णय की तिथि	16-04-2026

नि र्ण य **दिनांकः- 16-04-2026**

1. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.06.15 समय सांय के 5 बजे होगें कि परिवादी इलियास की सास अशरूपी पत्नि फजरूखां उम्र 65 साल सडक किनारे बैठ कर बकरियां चरा रही थी कि शोकीन पुत्र जानमौहम्मद जाति मेव निवासी पोदीपुर थाना नौगांवा अलवर ने अपनी मोटरसाईकिल बिना नम्बरी सीडी डीलैक्स रंग ब्लैक से टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर पास में काम कर रही कुर्सीदन पुत्री इलियास, वहीदन पत्नि अख्तर खां भाग कर वहां आई उस

समय परिवादी की सास बुरी तरह घायल हो गई उनका हाथ टूट गया, पैर में गहरी चोट आयी तथा शरीर व सिर पर गहरी चोट आई। उसी वक्त ईलाज के लिए नौगावां में प्राईवेट डॉ० से दिखाकर वापस ले गए जिसका रात्रि परिवादी के घर पर एक्सीडेंट में आई चोट के कारण मृत्यु हो गई इत्यादि.....।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी नौगांवा द्वारा एफआईआर सं० 123/2015 अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०द०सं० में दर्ज की गई एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०द०सं० का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जरिए अभियोजन अधिकारी चालान प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज रजिस्टर मूल फौजदारी किया गया।

3. अभियुक्त को दिनांक 30-09-2015 को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०द०सं० का मौखिक अभियोग सार सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझकर उक्त आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न गवाहों को परीक्षित करवाया गयाः-

क्र.सं.	पी०डब्ल्यू	नाम	दिनांक
1	पी०ड० 1	हनीफ खां	10-12-2021
2	पी०ड० 2	वहीदन	26-07-2023
3	पी०ड० 3	इलियास	30-07-2025
4	पी०ड० 4	रोशनलाल	20-09-2025
5	पी०ड० 5	दिलबाग सिंह	20-09-2025
6	पी०ड० 6	डॉ० कुमुदेश दीक्षित	30-10-2025
7	पी०ड० 7	खुर्शीदन	02-12-2025
8	पी०ड० 8	साहिरा	16-01-2026

तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र.सं.	प्रदर्श	नाम
1	प्रदर्श पी-1	फर्द पंचायतनामा
2	प्रदर्श पी-2	पुलिस बयान वहीदन
3	प्रदर्श पी-3	तहरीरी रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी-4	चाक एफआईआर

5	प्रदर्श पी-5	रसीद सुपुर्दगी लाश
6	प्रदर्श पी-6	नक्शा मौका घटनास्थल
7	प्रदर्श पी-7	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल
8	प्रदर्श पी-8	फर्द जब्ती असल दस्तावेजात
9	प्रदर्श पी-9	नोटिस धारा 133 व 134 एम.वी. एक्ट
10	प्रदर्श पी-10	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी-11	पीएमआर रिपोर्ट
12	प्रदर्श डी-1	पुलिस बयान सायरा

5. अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गई। अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त शौकीन की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी. लेखबद्ध की गई, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही।

6. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु निर्णीत करने हैंः-

1. क्या अभियुक्त शौकिन ने दिनांक 21-06-2015 को समय करीब 5.00 पीएम के आसपास मौजा बरामदा पुलिस थाना नौगांवा में वाहन मोटरसाइकिल एचएफ डिलेक्स नं० आरजे 02 एमएस 3278 को उपेक्षापूर्वक/उतावलेपन से चलाकर अपनी दिशा में बकरी चरा रही मजरूबा अशरुपी के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे दुर्घटना में आई चोटों के कारण अशरुपी की मृत्यु हो गई, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है एतद्द्वारा धारा 279, 304ए भा०द०सं० के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है ?

2. यदि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित है तो उसके लिए समुचित दंड क्या होगा ?

7. बहस उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास होने के बावजूद अभियोजन कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अपराध की विषयवस्तु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, जिस कारण अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

8. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहान में से किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की स्पष्ट रूप से ताईद नहीं की है तथा परीक्षित हुए मौके के व स्वतंत्र गवाहान स्वयं मजरूबानों के बयानों में भी विरोधाभास प्रकट होता है। ऐसे में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया।

9. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। साक्षियों की साक्ष्य का विधिक मूल्यांकन तथा संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है किः-

10. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाह पी०ड० 3 इलियास जो कि प्रकरण में परिवादी है इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 की ताईद करते हुए कथन किया है कि उसके बयानों से करीब 9 साल पहले उसकी सास बरामदा के पास सड़क के किनारे बकरी चरा रही थी तभी शौकिन तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल बिना नंबरी सी.डी. डिलेक्स को चलाते हुए लाया और उसकी सास को टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर खुर्शीदन व अख्तर वहां भागकर आ गये जिन्होंने उसकी सास को संभाला। उसकी सास के सिर पर गहरी चोट आयी थी। जहां से उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गयी थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है, एफआईआर रिपोर्ट प्रदर्शपी 04 है तथा फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 है उक्त सभी फर्दाश्त पर गवाह के हस्ताक्षर हैं। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया है कि वह वक्त घटना मौके पर नहीं था। मौके के पास उसकी लड़की खुर्शीदन व अख्तर थे जिनके आवाज देने पर गवाह मौके पर पहुंचा था। उसके पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। जिस मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था उसके नंबर उसे याद नहीं है।

11. गवाह पी०ड० 7 खुर्शीदन जो कि प्रकरण में मौके की गवाह बताई गई है इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी के समर्थन में ही कथन किये हैं तथा दौराने प्रतिपरीक्षण स्वीकार किया है कि उसके सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह घटना के थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंची थी। उसी ने नानी को संभाला था। मुलजिम मौके से भाग गया था। गवाह को मोटरसाइकिल के नंबर पता नहीं है। गवाह पी०ड० 8 साहिरा यह गवाह भी मौके की बताई गई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी के समर्थन में कथन किये हैं कि वह तथा खुर्शीदन व वहिदन खेतों पर काम कर रहे थे व सड़क के किनारे बकरी चरा रहे थे तभी अभियुक्त शौकिन ने मोटरसाइकिल से असरूपी को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया है कि घटना दिन में करीब 2 बजे की है। उसे मोटरसाइकिल के नंबर याद नहीं है। वह मौके से घास के लिए खेतों पर जा रही थी। मौके पर वह तथा वहीदन व खुर्शीदन ही थे। इसी क्रम में गवाह पी०ड० 2 वहीदन जो कि मौके की गवाह बताई गई है किन्तु यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में ही पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण इस बात को अस्वीकार किया है कि मुलजिम शौकिन

द्वारा तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए साइड में बैठी असरुपी को टक्कर मारी हो जिसके कारण असरुपी की मौत हुई हो।

12. गवाह पी०ड० 1 हनीफ खां जो कि अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं को मौके का गवाह बताता है तथा स्वयं के सामने मृतक असरुपी को अभियुक्त शौकिन द्वारा तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए टक्कर मारने का कथन करता है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण भी यह गवाह वक्त घटना स्वयं के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के होने से इनकार करता है तथा घटना की रिपोर्ट भी स्वयं द्वारा दर्ज करवाया जाना बताता है।

13. गवाह पी०ड० 6 डॉ० कुमुदेश दीक्षित जो कि प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी है जिसने मृतक असरुपी का पोस्टमार्टम किये जाने का कथन किया है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण यह स्वीकार किया है कि मृतक को किस चीज से चोट कारित हुई वह नहीं बता सकता। गवाह पी०ड० 5 दिलबाग सिंह जब्तशुदा मोटरसाइकिल का मैकेनिक मुआयना का गवाह है जिसने न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल पर किसी प्रकार की कोई टूट-फूट नहीं थी तथा मोटरसाइकिल सही काम कर रही थी।

14. गवाह पी०ड० 4 रोशनलाल जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी होकर औपचारिक प्रकृति का गवाह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान संबंधी औपचारिक कथन किये हैं तथा दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किया है कि मुलजिम को मौके से नहीं पकड़ा गया था। एक्सीडेंट दिनांक 21-06-2015 को शाम के करीब 5 बजे हुआ था। वह घटनास्थल पर घटना के करीब 3 दिन बाद गया था। एक्सीडेंट स्थल पर उसे कुछ नहीं मिला था।

15. अतः पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी पी०ड० 3 इलियास मौके का गवाह नहीं है जिसने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 में व न्यायालय के समक्ष परीक्षण में मौके के गवाह खुर्शीदन व वहीदन का होना बताया है। प्रकरण में गवाह पी०ड० 2 वहीदन पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुई है जिसने अभियुक्त शौकिन द्वारा मृतक असरुपी को टक्कर मारने से इनकार किया है व गवाह पी०ड० 7 खुर्शीदन ने दौराने प्रतिपरीक्षण एक्सीडेंट के पश्चात् मौके पर पहुंचना बताया है तथा स्वयं के सामने एक्सीडेंट नहीं होने का कथन किया है व अभियुक्त को उसके मौके पर आने से पूर्व ही भाग जाना बताया है। गवाह पी०ड० 8 साहिरा भी प्रकरण में घटनास्थल की गवाह बताई गई है किन्तु इस गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण घटना का समय 2 बजे होना बताया है जबकि तहरीरी रिपोर्ट व अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार घटना शाम 5 बजे की है। इस गवाह ने मौके पर स्वयं को वहीदन व खुर्शीदन को ही होने का कथन किया है तथा अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं को बकरी चराना बताया है जबकि प्रतिपरीक्षण में घास लेने के लिए खेत पर जाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में इस गवाह के स्वयं के कथनों में व तहरीरी रिपोर्ट में अंकित इबारत में विरोधाभास प्रकट हुआ है। अन्य गवाह पी०ड० 1 हनीफ खां स्वयं को मौके का गवाह बताता है जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये किसी भी गवाह ने हनीफ को मौके पर होने संबंधी कोई कथन नहीं किये हैं।

इस गवाह ने स्वयं के धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में खुर्शीदन, वहीदन व साहिरा द्वारा एक्सीडेंट के बारे में उसे बताये जाने का कथन किया है ना कि स्वयं को मौके पर होना बताया है। यहां तक कि इस गवाह ने घटना की रिपोर्ट भी स्वयं द्वारा थाने पर दर्ज करवाया जाना बताया है जबकि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 परिवादी इलियास द्वारा दिया जाना अंकित है। ऐसी स्थिति में गवाह पी०ड० 3 ने घटना के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर अभियोजन कहानी से विपरीत जाकर कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में इस गवाह के बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अन्य गवाह प्रकरण में औपचारिक प्रकरण के रहे हैं। मौके के गवाहान् ने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन कहानी से विपरीत कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त शौकिन द्वारा मौके पर मोटरसाइकिल नंबर आरजे 02 एमएस 3278 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके द्वारा ही मृतक असरुपी को टक्कर मारी गई हो जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त शौकिन को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०दं०सं० में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आ दे श ::

16. अतः **अभियुक्त शौकीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी पोदीपुर पुलिस थाना नौगांवा, जिला अलवर(राज०)** को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०द०सं० के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से बाद विचारण **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द०प्र०सं० के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 10,000/-रूपये के बंधपत्र छः माह की अवधि के लिए प्रस्तुत किए जाए, जो नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

18. **बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी प्रकरण में सुपुर्दगी पर छोड़े गये वाहन मोटरसाइकिल नं० आरजे 02 एमएस 3278 व असल दस्तावेजों का जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी निरस्त समझा जावें।**

(मनोज सिंह फौजदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ, जिला अलवर

19. निर्णय आज दिनांक 16-04-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मनोज सिंह फौजदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ, जिला अलवर